



**कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)**  
**Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Durg- C.G.**

कार्यालय

कलेक्टरेट परिसर के पीछे, महावीर नगर,  
बालक भगवान पथ, दुर्ग 491001  
दूरभाष - 0788-2323716  
Email : cgtownplan.durg@gmail.com



OFFICE :  
Back of Collectorate Campus, Mahavir nagar,  
Balak bhagwan path, Durg 491 001  
Tel. - 0788 - 2323716  
Email : cgtownplan.durg@gmail.com

क्रमांक ११७७/वि.अ.-२२/न.ग्रा.नि/२०२०

दुर्ग, दिनांक २६/०६/२०२०

प्रति,

✓ चौहान हाउसिंग कम्पनी,

पार्टनर श्री अजय चौहान आ० श्री विपथ उर्फ दीपेश्वर चौहान,  
निवासी – राजीव नगर सुपेला भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

विषय:- आवासीय विकास की अनुज्ञा बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 21.01.2020 एवं 22.07.2020

--००--

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम सिरसाख्वर्द, प.ह.नं. ०८ तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की भूमि खसरा क्रमांक 789/१ रक्बा 0.090 है०, 789/२ रक्बा 0.070 है०, 789/३ रक्बा 0.090, 789/४ रक्बा 0.190 है०, 790 रक्बा 0.280 है०, 797 रक्बा 0.110 है०, 798 रक्बा 0.010 है०, 799 रक्बा 0.130 है०, 800 रक्बा 0.030 है०, 801 रक्बा 0.270 है०, 802 रक्बा 0.130 है०, 803/१ रक्बा 0.140 है०, 803/२ रक्बा 0.820 है०, 804 रक्बा 0.200 है०, 805 रक्बा 0.190 है०, 819 रक्बा 0.150 है०, 820 रक्बा 0.050 है०, 821 रक्बा 0.140 है०, 823 रक्बा 0.110 है०, 824 रक्बा 0.170 है०, 1044 रक्बा 0.090 है०, 1045 रक्बा 0.100 है०, 1046/२ रक्बा 0.480 है०, 1047 रक्बा 0.230 है०, 1051 रक्बा 0.090 है०, 1052 रक्बा 0.180 है०, 1053 रक्बा 0.120 है०, 1054/१ रक्बा 0.120 है०, 1054/२ रक्बा 0.130 है०, 1058 रक्बा 0.740 है०, 1059 रक्बा 0.090 है०, 1060/१ रक्बा 0.100 है०, 1060/२ रक्बा 0.090 है०, 1061 रक्बा 0.100 है०, 1064 रक्बा 0.070 है०, 1065 रक्बा 0.230 है०, 1066/२ रक्बा 0.180 है०, 1068 रक्बा 0.250 है०, 1069 रक्बा 0.300 है०, 1070 रक्बा 0.080 है०, 1071 रक्बा 0.210 है०, 1078/१ रक्बा 0.190 है०, 1078/२ रक्बा 0.260 है०, 1078/३ रक्बा 0.060 है०, 1079 रक्बा 0.160 है०, 1081 रक्बा 0.150 है०, 1082 रक्बा 0.310 है०, 1084 रक्बा 0.020 है०, 1085 रक्बा 0.180 है०, 1086/१ रक्बा 0.160 है०, 1086/२ रक्बा 0.170 है०, 1087 रक्बा 0.030 है०, 1088 रक्बा 0.020 है०, 1089/१ रक्बा 0.200 है०, 1089/२ रक्बा 0.190 है०, 1090 रक्बा 0.070 है०, 1091 रक्बा 0.050 है०, 1092/१ रक्बा 0.050 है०, 1092/२ रक्बा 0.050 है०, 1093 रक्बा 0.490 है०, 1094 रक्बा 0.250 है०, 1095 रक्बा 0.200 है०, 1096 रक्बा 0.290 है०, 1108/१ रक्बा 0.650 है०, 1108/२ रक्बा 1.000 है०, 1111 रक्बा 0.140 है०, 1112 रक्बा 0.090 है०, 1113 रक्बा 0.050 है०, 1114 रक्बा 0.130 है०, 1115/१ रक्बा 0.050 है०, 1115/२ रक्बा 0.060 है०, 1117 रक्बा 0.080 है०, 1118 रक्बा 0.030 है०, 1119 रक्बा 0.050 है०, 1120 रक्बा 0.100 है०, 1121 रक्बा 0.040 है०, 1122 रक्बा 0.060 है०, 1123 रक्बा 0.060 है०, 1124 रक्बा 0.090 है०, 1125 रक्बा 0.070 है०, 1126 रक्बा 0.080 है०, 1127 रक्बा 0.030 है०, 1128 रक्बा 0.040 है०, 1129 रक्बा 0.080 है०, 1130 रक्बा 0.110 है०, 1131 रक्बा 0.070 है०, 1132 रक्बा 0.070 है०, 1133 रक्बा 0.910 है०, 1134 रक्बा 0.070 है०, 1138 रक्बा 0.170 है०, 1139 रक्बा 0.800 है०, 1140/१ रक्बा 0.200 है०, 1140/२ रक्बा 0.190 है०, 1140/४ रक्बा 0.220 है०, 1156 रक्बा 0.360 है०, 1157 रक्बा 0.190 है०, 1158 रक्बा 0.160 है०, 1159 रक्बा 0.190 है०, 1160 रक्बा 0.280 है०, 1163 रक्बा 0.250 है०, 1166 रक्बा 0.260 है०, 1167/२ रक्बा 0.120 है०, 1168/१ रक्बा 0.190 है०, 1168/२ रक्बा 0.080 है०, 1171/१ रक्बा 0.020 है०, 1172 रक्बा 0.240 है० कुल खसरा 106 कुल रक्बा 19.03 है० जो की अंगीकृत दुर्ग-भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकित 2031 में आवासीय, मिश्रित एवं मार्ग निर्दिष्ट है, में आवासीय (भूखण्डीय) विकास को कियान्वित किए जाने हेतु अनुज्ञा छोगो नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 30(3) छोगो भूमि विकास नियम 1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अध्याधीन रहते हुए दी जाती है :-

- 1) यह अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि पूर्णतः आवेदक संस्था के पूर्ण आधिपत्य व स्वामित्व में है एवं किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भूमि स्वामित्व/आधिपत्य नहीं होने पर अथवा किसी प्रकार का विवाद होने पर अथवा आवेदित भूमि से भिन्न या अन्य की भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण किये जाने पर यह विकास अनुज्ञा प्रतिसंहृत की जा सकेगी।
- 2) न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग के पत्र क्र. ६०/प्र.तह./२०२० दुर्ग दिनांक 21.05.2020 के द्वारा आवेदित भूमि के स्वामित्व व सीमांकन की पुष्टि हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल दुर्ग-01, के ज्ञापन क्रमांक 266/रा.नि.म. दुर्ग 01/२०२० दुर्ग दिनांक 19.05.2020 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर यह अनुज्ञा जारी की जा रही है।

क्रमशः..2..पर


- 3) अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4) किसी भी प्रकार के विकास/निर्माण के पूर्व ४०ग0 भू—राजस्व 1959 की धारा 172 के तहत् आवासीय प्रयोजनार्थ भू—व्यपर्वतन कराया जाना आवश्यक होगा।
- 5) दुर्ग भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकन 2031 के अनुसार रथल के समुख दुर्ग—धमधा मुख्य मार्ग की चौड़ाई 50.00 मी. प्रस्तावित की गई है। अतः मार्ग मध्य से 25.00 मी. छोड़कर भूखण्ड रेखा मानी जावे।
- 6) आवेदित भूमि में दुर्ग भिलाई विकास योजना पुनर्विलोकित 2031 के अनुसार 18.00 मी. चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है जिसका विकास किया जावे।
- 7) किसी नियम/अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी विभाग से अनुज्ञा/अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो रथल पर विकास/निर्माण के पूर्व वह भी प्राप्त की जावे।
- 8) छ.ग. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 (संशोधन 2015) का पालन किया जावे।
- 9) न्यायालय अनुविभागीय राजस्व दुर्ग जिला दुर्ग के ज्ञापन क्र. 882/प्र.01/आ.वि.आ./2020 दुर्ग दिनांक 14.05.2020 के द्वारा ४०ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 के नियम 10 (2) के तहत् आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग हेतु ग्राम सिरसाखुर्द, प.ह.नं. 09, खसरा नंबर 854/1, 854/2, 855 का टु., 856, 858 रक्खा क्रमशः 1.050, 0.480, 0.370, 0.120, 0420 कुल रक्खा 2.440 हेठो का कब्जा प्राप्त किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।
- 10) ४०ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 (संशोधन 2015) के नियम 10 (4) के अनुसार अभिन्यास में निम्न आयवर्ग (L.I.G.) के लिए विकसित भूखण्ड आरक्षित रखे गये हैं जिस पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
- 11) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 52 के अनुसार उच्च वोल्टता लाईनों के पास विकास हेतु भारतीय विद्युत नियमों के अद्यतन नियमों के अनुसार कार्यवाही की जावे।
- 12) संलग्न अभिन्यास में फ्यूचर प्लानिंग हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार के विकास/निर्माण के पूर्व इस कार्यालय से नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 13) आवेदक संस्था द्वारा ४०ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) अधिनियम 1999 के नियम 10 के प्रावधान अनुसार कमजोर आय वर्ग की भूमि को निःशुल्क हस्तांतरण के एवज में 3% वाणिज्यिक उपयोग ABCDEFGH क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत किये गये हैं।
- 14) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के प्रावधानानुसार प्रति 100 वर्गमीटर में एक वृक्ष की दर से वृक्षारोपण कराना होगा तथा शासन के निर्देशानुसार मार्ग के किनारे एवं खुली भूमि के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक होगा।
- 15) भू—खंड परिसर में सेप्टिक टैंक का निर्माण ४०ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम-76 के प्रावधानो के अनुसार किया जावे एवं इससे संलग्न क्षेत्र में सोकपिट का निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- 16) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 के अनुसार रेनवाटर हारवेस्टिंग के प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
- 17) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79 (क) के अनुसार सड़क एवं खुले क्षेत्र हेतु की जाने वाली कुल प्रकाश व्यवस्था का 25 प्रतिशत सौर पथ प्रकाश संयंत्र के द्वारा की जावे।
- 18) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 79 (ग) के प्रावधानानुसार हरित मानदंडों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
- 19) ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक व उससे निर्मित सामग्री को संग्रहित करने हेतु कुड़ेदान का उपयोग किया जाए। नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण एवं निपटान की सम्पूर्ण एवं विस्तृत प्रणाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधान अनुसार किया जावे।
- 20) ४०ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 89 के अनुसार स्वच्छता संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किया जावे।
- 21) अभिन्यासित क्षेत्र में शासन के आदेश क्रमांक एफ 7—28/2016/32 दिनांक 27.05.2016 के अनुसार भूमिगत विद्युत केबल की स्थापना भारतीय मानक ब्युरो के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
- 22) शासन के आदेश क्रमांक एफ 7—28/2016/32 दिनांक 27.05.2016 के परिपालन में निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल से बचाव एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु रथल की आवश्यकता अनुसार क्लोज कर्टन/विन्ड ब्रेकिंग रस्क्वर/बैरियर का प्रयोग, मिटटी में नमी, वृक्षारोपण आदि का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- 23) जल मल निकास नाली का विकास सेप्टिक टैंक इत्यादि का निर्माण स्वयं आवेदक के द्वारा किया जावे जिसका प्रदूषित जल सीधे नदी/नाले में प्रवाहित न करें।
- 24) एस.टी.पी. का प्रावधान भारतीय मानकों के अनुसार किया जावे तथा अशुद्ध जल का संग्रहण, उपचार और पुनःचक्रण व्यवस्था वर्तमान प्रावधानानुसार सुनिश्चित किया जावे।
- 25) कालोनी के चारों ओर तथा आंतरिक मार्ग के दोनों ओर ऐसी प्रजाति के छायादार वृक्ष, जिनकी उंचाई न्यूनतम 10 फीट हो तथा 15 से.मी. से कम न हो के पौधे रोपे जाएं तथा वृक्ष गार्ड रथापित किये जाये और रोपे जाने वाले पौधों की संख्या कालोनी के कुल क्षेत्रफल के अनुसार प्रति हेक्टेयर न्यूनतम 50 वृक्ष होने चाहिए।

क्रमशः..3..पर

- 26) छ0ग0 शासन के निर्देशानुसार निर्माण कार्य हेतु 25 प्रतिशत फ्लाय ऐश ब्रिक्स का उपयोग करना आवश्यक होगा।
- 27) छ0ग0 शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक 2038/1521/2016/32 नया रायपुर दिनांक 28.05.2019 के तहत संबंधित वास्तुविद/इंजीनियर/संरचना इंजीनियर/नगर योजनाकार/पर्यवेक्षक के द्वारा गलत संरचना रूपांकन प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 28) संलग्न अभिन्यास में दर्शये अनुसार मार्गों एवं खुले स्थानों का विकास करना आवश्यक होगा। स्वीकृत अभिन्यास में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
- 29) भवन निर्माण अनुज्ञा इस कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 30) स्थल पर स्वीकृत मानचित्र की प्रति जनसामान्य के अवलोकनार्थ लगायी जावे।
- 31) अनुज्ञा का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा विवाद की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वमेव निरस्त होकर निष्प्रभावी हो जाएगी जिसके लिए आवेदक स्वतः उत्तरदायी एवं क्षतिपूर्ति हेतु जवाबदेह होगा।
- 32) इसे किसी प्रकार भू—अभिलेख संबंधी प्रमाण पत्र न समझा जावे।
- 33) छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 क्र. 11 सन् 2018 की धारा 33 के प्रावधानों अनुसार यह अनुज्ञा स्वीकृति दिनांक से 03 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी, जसके पश्चात यह व्यापगत हो जायेगी। निर्धारित कालावधि में आतेदून किए जाने पर कालावधि को वर्षानुवर्ष बढ़ा सकेंगे किन्तु कुल कालावधि प्रथम स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम् 05 वर्षों तक हो सकेंगी।
- 34) छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 क्र. 11 सन् 2018 की धारा 33 (क) के तहत विकास अनुज्ञा के प्रतिसंहरण एवं उपांतरण की शक्तियाँ संचालक में निहित है। अतः राज्य शासन आवश्यक समझे तो इस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकती है तथा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने अथवा किसी असत्य जानकारी अथवा भूमि स्वामित्व विवाद की स्थिति में इस भूमि पर प्रदत्त विकास अनुज्ञा छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहृत (रिवोक) की जा सकेगी।

संलग्न:-

मानचित्र ।



प्र० संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक..... / वि.अ.—22 / न.ग्रा.नि / 2020

दुर्ग, दिनांक ..... / ..... / 2020

प्रतिलिपि:-

- 1) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 2) अनुविभागीय अधिकारी (रा०), दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- 3) रजिस्ट्रार, भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, (RERA) शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
- 4) सरपंच, ग्राम पंचायत सिरसाखुर्द, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:-

मानचित्र ।



प्र० संयुक्त संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
दुर्ग (छ.ग.)